क्रम संख्या हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	04/7/2023 दोनो पक्षो के वकील उप० PO कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं। पत्रावली वास्ते - बहस दिनांक 12.7.2023 को पेश हो। [signature] इतना लिखने पर प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र O-1, R-10 CPC के तहत पेश किया। पत्रावली वास्ते- प्रार्थना पत्र बहस व अंतिम बहस आवेदन पत्र हेतु दिनांक 12.7.2023 को पेश हो। [signature]	[illegible]
12.7.2023	दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र O-1, R-10 CPC व मूल आवेदन पत्र पर अंतिम बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते- आदेश दिनांक 19.7.23 को पेश हो। [signature] सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
19/7/23	पत्रावली पेश हुई। दोनो पक्षो के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थना पत्र O-1, R-10 CPC व मूल आवेदन पत्र पर बहस गत पेशी पर सुनी गई थी। वकील प्रार्थीगण की बहस थी कि [signature]	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:21:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व ... अहकाम जो ... की तामील में जारी हुक्म
	विवादित भूमि पैतृक है। जो प्रार्थी के परदादा अन्नसिंह को प्राप्त हुई थी. अन्नसिंह के फौत होने पर उनके वारिसान प्रतापसिंह व दुर्गसिंह की खातेदारी में इन्द्राज हुई। प्रतापसिंह के वारिसान में जोगसिंह व प्रार्थी के पिता हड़मतसिंह है। जो प्रतापसिंह के फौत होने पर वारिसान खातेदार इन्द्राज हुई। प्रार्थी का विपक्षी संख्या 01 के साथ बहिस्सा बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में विपक्षी संख्या 01 की खातेदारी होने के कारण उसने अपने हिस्से से अधिक भूमि का बेचान कर दिया गया। जबकि विपक्षी को कोई कानूनी अधिकार नहीं था। हिस्से से अधिक भूमि का बेचान अपने आप में शून्य व निष्प्रभावी है। लेकिन अप्रार्थी क्रेता प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलंदाजी करने की कोशिश करते रहते हैं। जो माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी कर सकती है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर स्थगन आदेश [illegible] के निर्णय तक कन्फर्म किया [illegible] है हड़मतसिंह की पुत्री [illegible] पुत्रियों को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जावे। तथा स्थगन आदेश को कन्फर्म करने का आदेश फरमावें। (भिखुदान)	

सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:21:22 IST
Reason: SelfAttested

नम्बर व तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उनके विपरीत वकील विप्रार्थी सांवला ०। की बहस थी कि प्रार्थी की ओर से गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया है। क्योंकि प्रार्थी की ओर से न्यायालय को गुमराह करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया तथा न्याय से इलतमास आवेदन पत्र पेश किया, जिससे एकतरफा स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जबकि विवादित भूमि का बंटवारा आपसी सहमति के आधार पर तत्समय के खातेदार के मध्य हो गया था लेकिन प्रार्थी ने इन तथ्यों को छुपाते हुए पुरानी जमाबंदी पेश कर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। जबकि विवादित भूमि के रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश जारी नहीं किया जा सकता है। जबकि स्थगन आदेश जारी करने से विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है। अपनी बहस में आगे जारी रखते हुए कथन किया कि प्रार्थी द्वारा आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद पक्षकार नहीं बनाया गया है, जिसके कारण भी आवेदन पत्र खारिज योग्य है। प्रार्थी का आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:21:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	अहकाम की तामील
	वकील विप्रार्थी संख्या 01 की बहस का समर्थन करते हुए विप्रार्थी संख्या 4 से 6 व 8, 9, 11 से 15, 17, 18, 20 व 20 वकील ने अपनी बहस में तर्क दिया कि, कि विवादित भूमि के संबंध में वाद सारहीन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। क्योंकि विवादित भूमि का आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा हो गया था, तथा खातेदार के बटवारा नक्शा व पुख्ता सबूत हो रखी थी इसके उपरांत भी प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर झूठी आवेदन पेश कर सम्पूर्ण भूमि पर स्थगन आदेश जारी करवा दिया। जो कि विधि विरुद्ध स्थगन आदेश प्राप्त किया है। इसके कारण विप्रार्थी को अपूरणीय क्षति हो रही है अतः स्थगन आदेश को निरस्त कर, प्रार्थी का आवेदन खारिज फरमाया जावे। हमने उभयपक्ष विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य रेकर्ड, पत्रावली का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया तथ्यों का विधि के परिपेक्ष्य में विश्लेषण किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी की ओर से पेश सायरल वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 RT Act के तहत बादग्रस्त	

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek V
Date: 2023.08.01 22:21:2
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
भूमि को पुश्तैनी बताते हुए विवादित कब्जा व इस्तमालिंद का वारिस बताकर ग्राम चांपाबेरी की खेत खसरा नम्बर 19 रकबा 146-05 बीघा भूमि में स्वामित्व घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने की मुख्य दरख्वास्त चाही गई। जो मुकदमा में कानूनी नुक्तों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी / वादी राहत प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन अस्थाई आवेदन पत्र के का निस्तारण करने के लिए तीन बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति किसके पक्ष में बनते है, के आधार पर प्रकरण का निस्तारण होगा। जिसमें पाया कि प्रार्थी के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी संवत 2074-2077 हल्का पटवारी कानेरा द्वारा दिनांक 17.12.2021 को प्रति जमाबंदी नकल प्रति वादी पक्ष द्वारा पेश की गई, जिसमें मूल खसरा नम्बर 19 रकबा 146-05 बीघा भूमि उल्लेख है और इसी के आधार पर सम्पूर्ण भूमि पर एकपक्षीय स्थगन आदेश प्राप्त किया गया। जबकि विवादित [illegible] की ओर से प्रस्तुत जमाबंदी [illegible] भानरी द्वारा दिनांक 06.2.2022 को जारी [illegible] नकल प्रतिलिपि के अनुसार विवादित	

[illegible signature]

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:21:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	अहलकार की तारीख
	भूमि का नामान्तरकरण संख्या 402 दिनांक 05.1.2022 विभाजन आपसी सहमति के आधार पर होने के कारण नामान्तरकरण भरा गया और मूल खसरान की बटान नम्बर देकर हुकम 2 तरमीम भी कर दी गई है इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी पक्ष द्वारा न्यायालय को गुमराह करते हुए पुरानी जमाबंदी के आधार पर मूल खातेदार पर एकपक्षीय स्थगन आदेश जारी करवा लिया। क्योंकि विवादित भूमि का दावा होने से पूर्व ही आपसी सहमति के आधार पर बंटवारा हो गया था। लेकिन प्रार्थी द्वारा इन तथ्यों को छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर आवेदन पत्र पेश किया गया। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है। क्योंकि विपक्षी विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है और रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनकर विपक्षी के पक्ष में बनता है। जबकि प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार नहीं है और विपक्षी रिकार्डेड खातेदार है रिकार्डेड खातेदार को स्थगन आदेश से पाबंद किए जाने से अपूरणीय क्षति हो रही है।	

(हस्ताक्षर) उपाध्याय

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek
Date: 2023.08.01 22:21:2
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
इस प्रकार स्थगन आदेश जारी रखा जाना विधि विरुद्ध है। क्योंकि पत्रावली के संलग्न बयान दस्तावेज की प्रति अवलोकन करने से स्पष्ट है कि विपक्षी संख्या 01 के बयान पत्र में प्रार्थी स्वयं द्वारा साक्ष्य दी गई है। इससे यही प्रतीत होता है कि विपक्षी संख्या 01 द्वारा की गई कृषि बयान में प्रार्थी की रजामंदी थी। यदि उसे इनकार ऐतराज होता तो तत्समय वह बयान पत्र में साक्ष्य नहीं देता। इस प्रकार समग्र विवेचन से भली भांति स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वास्तविक तथ्यों को छुपाते हुए गलत आधार पर स्थगन आदेश प्राप्त कर रखा है जबकि विवादित कृषि के रिकॉर्ड खातेदार के विरुद्ध स्थगन आदेश से बाधित नहीं किया जा सकता है। मूलवाद में प्रार्थना-पत्र 0.1, 2.10 स्वीकार हुए है। ऐसी स्थिति में आवेदन में भी निस्तारण की जाती है ऐसी सूरत में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनते हैं। लिहाजा न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.1.2012 को निरस्त किया जाकर प्रार्थी का आवेदन पत्र सारहीन तथ्यों के आधार पर होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो।	

(हस्ताक्षर)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.08.01 22:21:22 IST
Reason: SelfAttested